पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 12 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2018 का प्रख्यापन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की सहमति से आम जानकारी के लिये प्रकाशित की गयी अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-12 (वैवाहिक प्रास्थिति) में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

योजनाओं / परियोजनाओं के पुनरीक्षित व्यय के मूल्यांकन और उनके औचित्य के परीक्षण की व्यवस्था में संशोधन

योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन, औचित्य का परीक्षण एवं लागत में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रायः यह देखने में आया है कि छोटी–छोटी परियोजनाओं की लागत में पुनरीक्षण की दशा में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अत्यन्त लघु धनराशियों के आगणन भी व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं एवं इनकी संख्या भी अत्यधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यय वित्त समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति में विलम्ब होने के साथ–साथ समय तथा जनशक्ति का भी अपव्यय होता है ।

उक्त के दृष्टिगत पुनरीक्षित व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण निम्नवत् संशोधित किया गया है :

- धनराशि 5 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा
- धनराशि 5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हों) द्वारा
- धनराशि 5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हों) द्वारा
- धनराशि 25 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति द्वारा ।

ग्राम भन्दहा कला, वाराणसी में नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि सेण्ट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स को रैपिड एक्शन फोर्स की नई वाहिनी की स्थापना हेतु हस्तान्तरित करने का निर्णय

- प्रदेश में आर0ए0एफ0/सी0आर0पी0एफ0की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आर0ए0एफ0 की एक नई वाहिनी का वाराणसी में गठन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए जनपद वाराणसी के ग्राम भन्दहा कला, परगना कटेहर, तहसील सदर में स्थित नागरिक उड्डयन की भूमि को सी0आर0पी0एफ0/आर0ए0एफ को आर0ए0एफ वाहिनी की नई वाहिनी की स्थापना हेतु कुल 20.008 हे0 भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना है।
- आर0ए0एफ0 की नई वाहिनी की स्थापना हेतु नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि में 16.814 हे0 भूमि नागरिक उड्डयन विभाग एवं 0.340 हे0 ग्राम सभा की भूमि नि:शुल्क हस्तान्तरित होनी है शेष 2.854 हे0 भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु लगभग रू0 2955.76 लाख की धनराशि अनुमानित है जिसका वहन गृह विभाग द्वारा राज्य बजट से किया जाएगा।
- आर0ए0एफ0 का व्यवस्थापन गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति में किया जाता है। उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर आर0ए0एफ0 को तैनात किया जाता रहा है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि आर0ए0एफ0 की स्थापना जिस प्रदेश में होती है वह वाहिनी सामान्यतया उसी प्रदेश के उपयोग के लिए रहती है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आर0ए0एफ0 को तैनात करने के लिए अपनायी जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के बिना भी संबंधित कमांडेंट की सहमति से 03 दिन के लिए आर0ए0एफ की सीधे तैनाती की जा सकती है।
- आर0ए0एफ0 की दिन-प्रतिदिन बढ़ती मांग के कारण इसकी तीन वाहिनियां अधिकांश समय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात रहती हैं। उत्तर प्रदेश में आर0ए0एफ0/ के0रि0पु0ब0 की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए आर0ए0एफ0 की एक नई वाहिनी का वाराणसी में गठन किया जाना आवश्यक है।
- यह वाहिनी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित रूप में अस्थायी तौर पर वर्तमान में लखनऊ एवं इलाहाबाद से संचालित हो रही है, जिसका मुख्यालय वाराणसी में होगा।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28सी के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण हेतु 10वीं वाहिनी पी0ए0सी0 बाराबंकी की भूमि को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय

- लोक निर्माण विभाग के अनुरोध पर प्रस्तावित कार्य के लिए 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी के स्वामित्वाधीन 1.024 हे0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28सीं के पुनरूद्धार एवं उच्चीकरण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाना है।
- निःशुल्क हस्तान्तरित की जाने वाली 1.024 हे0 भूमि में 0.632 हे0 भूमि विभिन्न संक्रमणीय खातेदारों की थी जिसका प्रतिकर भुगतान गृह विभाग द्वारा किया गया, जो वर्तमान में 10वी वाहिनी पीएसी बाराबंकी के नाम दर्ज है। शेष 0.392 हे0 भूमि, जो ग्राम समाज के नाम पूर्व में दर्ज थी, वर्तमान में यह भी भूमि भी 10वी वाहिनी पीएसी बाराबंकी के नाम दर्ज है।
- इस भूमि का हस्तान्तरण अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पक्ष में निःशुल्क होनी है।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भूमि पर विद्यमान स्ट्रक्चर यथा पीएसी की बाउण्ड्रीवाल, गेट, गार्द रूम एवं एटीएम की इमारत आदि को उच्च गुणवत्ता के साथ वर्तमान स्वरूप में पुर्नस्थापित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है, जिस पर आने वाले व्यय का वहन सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाना है।
- इसके अतिरिक्त बिजली का ट्रांसफार्मर एवं खम्भों की पुर्नस्थापना मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा सम्पादित किया जाएगा और इस पर आने वाले व्यय का वहन अर्जन निकाय द्वारा किया जाएगा।
- सुरक्षा के दृष्टिगत यह भी निर्णय लिया गया है कि पीएसी की बाउण्ड्रीवाल तब तक न तोड़ी जाय, जब तक कि बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पूरा न करा लिया जाय।

जनपद इलाहाबाद एवं झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को मंजूरी

- प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रफल, विशाल आबादी के दृष्टिगत विभिन्न स्तरों की 18 प्रयोगशालाओं के निर्माण, उपकरणों की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति हुई है और प्रथम चरण में ए श्रेणी के लिए गाजियाबाद एवं कन्नौज, बी श्रेणी के लिए गोरखपुर एवं इलाहाबाद और सी श्रेणी के लिए फैजाबाद, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़ कुल 08 स्थानों पर विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- जनपद इलाहाबाद एवं झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना से अपराध से सम्बन्धित पुलिस, न्यायालय एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सेम्पल का त्वरित परीक्षण किया जाना संभव होगा।
- प्रदेश में वर्तमान में 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालायें लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं वाराणसी में स्थित हैं।
- जनपद इलाहाबाद एवं झॉसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
- जनपद इलाहाबाद एवं झॉसी में प्रस्तावित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन के पुनरीक्षित निर्माण कार्यो हेतु क्रमशः रू0 4108.46 लाख एवं रू0 3565.89 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है।
- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रयुक्त विशिष्टियां जैसे ए0सी0पी0 पैनलिंग, फाल्स सीलिंग एवं ग्रेनाइट के प्रावधान, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टयों से उच्च है, के प्रयोग पर मा0 मंत्रि–परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला झांसी एवं इलाहाबाद मे उच्च विशिष्टियां यथा एल्यूमिनियम टफेन ग्लास, ए0सी0पी0 पैनलिंग, फाल्स सीलिंग, ग्रेनाइट क्लेडिग के प्रयोग पर क्रमश रू0 256.31 लाख तथा रू0 247.59 लाख की लागत आयेगी। इनका प्रयोग बिल्डिग की भव्यता, सुन्दरता एवं सुरक्षा के दृष्टिगत किया जा रहा है।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के सम्बन्ध में

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का एक अहम उद्देश्य महिला एवं बाल विकास से सभी पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमों का कन्वर्जेन्स कर लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण सम्बन्धी अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं यथा – महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग की योजनाओं का कन्वर्जेन्स सुनिश्चित किया जायेगा। इसके मुख्य घटक आईसीटी–आरटीएम, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि,कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन एण्ड बिहेवियर चेंज कम्यूनीकेशन, इनोवेशन, परफार्मेन्स इन्सेन्टिव एवं फ्लैक्सी ऐक्टिविटिज है।

पोषण अभियान के मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बौनापन (स्टन्टिंग) प्रति वर्ष 02 प्रतिशत की दर अर्थात 06 प्रतिशत की कमी लाने, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अल्प वजन (आवश्यकता से कम पोषण) प्रति वर्ष 02 प्रतिशत की दर से अर्थात 06 प्रतिशत की कमी लाने, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों में एनीमिया की दर प्रति वर्ष 03 प्रतिशत की दर से अर्थात 09 प्रतिशत की कमी लाने, 15–49 आयु की किशोरियों तथा महिलाओं में एनीमिया की दर में प्रति वर्ष 03 प्रतिशत की दर से अर्थात 09 प्रतिशत की कमी लाने तथा जन्म के समय कम वजन की दर में प्रति वर्ष 02 प्रतिशत की दर से अर्थात 06 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–49 के अन्तर्गत रू0 8050.75 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद राज्य राजमार्ग सं0–59 पर पथकर वसूली की अधिसूचना अनुमोदित

मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग (राज्य राजमार्ग सं0 59) का फोर लेन में उच्चीकरण सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति से कराया गया है। मार्ग के निजी विकासकर्ता मेसर्स देवबंद हाइवे प्रा0लि0 लखनऊ है। मार्ग की कुल लम्बाई 52.887 किमी0 है, जिसमे देवबंद कस्बे में 4 किमी0 लम्बाई का फ्लाईओवर सम्मिलित है। परियोजना की लागत रू0 752.88 करोड़ एवं कंसेशन अवधि 23 वर्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं पथकर का संग्रहण) नियमावली–2011 के अनुसार मार्ग पर पथकर वसूली प्रस्तावित है। तदानुसार मा0 मंत्रि परिषद द्वारा पथकर वसूली की अधिसूचना निर्गत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

————————————

PN-CM-Cabinet Decisions-12 June, 2018